न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवरलाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 86/2021/जिला–अजमेर

रतन सिंह पुत्र श्री लादू सिंह, जाति रावत निवासी पुराना बडगांव तहसील व जिला अजमेर।

———अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार प्रथम, अजमेर

————प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 15–4–2021
प्रकरण संख्या 10/21(2021/27) बउनवान रतन सिंह बनाम सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान ,अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 21–11–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खानपुरा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत रिपोर्ट नायब तहसीलदार प्रथम अजमेर को प्रस्तुत करने पर नायब तहसीलदार, अजमेर ने अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम दर्जकर अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ग्राम बडगांव के खसरा नम्बर 289/1040, 302, 457, 299/1074, 307 कुल रकबा 14.04 हैक्टर में से 0.27 हैक्टर किस्म चाह 3 बीड पर अतिक्रमी मानते हुए अपीलार्थी के वर्षो पूर्व कब्जे से बेदखली शास्ती एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिनांक 10–3–2021 को पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने एक अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–4–2021 पारित कर नायब तहसीलदार, अजमेर प्रथम के आदेश दिनांक 10–3–2021 को यथावत रखते हुए अपीलार्थी को तीन माह के सिविल कारावास जैसे कठोर आदेश को यथावत किये जाने का आदेश पारित कर दिया। जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त आदेश दिनांक 15–4–2021 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि विवादित आराजियात बाबत अपीलार्थी द्वारा मौके से अपना अतिक्रमण हटाने तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा स्वयं मौके पर आकर पक्के निर्माण को ध्वस्त किया जा चुका था तथा उक्त रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अपीलार्थी के तीन माह के सिविल कारावास जैसे कठोर आदेश को स्थगित किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार, अजमेर प्रथम के आदेश को यथावत रखने का आदेश प्रदान कर दिया जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलार्थी को विवादित आराजियात बाबत नोटिस जारी कर अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी तथा अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजियात से कब्जा भी हटा लिया गया था। अपीलार्थी को नियमो की जानकारी नहीं होने के कारण अपनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजियात से लगती हुई सिवायचक जमीन पर एक–दो फिट पर कांटों की बाड लगाकर अतिक्रमण कर लिया था तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा उक्त कब्जे को हटा लिया था तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजियात पर से कब्जा हटाये जाने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध तीन माह के सिविल कारावास जैसे कठोर आदेश को निरस्त नहीं कर आदेश दिनांक 15–4–2021 पारित कर नायब तहसीलदार अजमेर प्रथम के आदेश को यथावत रख दिया जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 15–4–2021 एवं नायब तहसीलदार प्रथम अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–3–2021 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही समाप्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नायब तहसीलदार, प्रथम अजमेर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की है जो समरी कार्यवाही है। किसी भी काश्तकार द्वारा राजकीय/सिवायचक भूमि पर अतिमक्रमण पाये जाने पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। नायब तहसीलदार प्रथम अजमेर द्वारा पश्चातवर्ती कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने के मध्यनजर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर कानूनी प्रावधानों के तहत अतिक्रमी को नोटिस जारी कर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश

दिनांक 15–4–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार, अजमेर प्रथम द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 24–2–2021 के अनुसार अपीलार्थी का विवादित आराजियात राजस्व रेकार्ड में चारागाह सिवायचक भूमि दर्ज है तथा अपीलार्थी द्वारा कांटो की बाड़ लगाकर चारदीवारी निर्माण कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर नायब तहसीलदार, प्रथम अजमेर द्वारा अपीलार्थी को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर अपीलार्थी का विवादित आराजियात पर अतिक्रमण पाये जाने पर भूमि से बेदखल किये जाने एवं 3 वर्ष के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये है। अपीलार्थी स्वयं द्वारा पटवारी हल्का खानपुरा की बेदखली रिपोर्ट दिनांक 7–4–2021 में एवं अपील मीमों में भी सिवायचक चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है तथा मौके पर अतिक्रमी अपीलार्थी स्वयं द्वारा शांतिपूर्ण अतिक्रमण हटवाने में सहयोग प्रदान किया तथा अतिक्रमण हटाना स्वीकार किया है जिस पर अपीलार्थी स्वयं के हस्ताक्षर है। नायब तहसीलदार प्रथम अजमेर द्वारा नियमों के तहत पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही की गई है जो न्यायोचित प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–4–2021 एवं नायब तहसीलदार प्रथम अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–3–2021 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15–4–2021 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 10/2021(2021/27) बउनवान रतन सिंह बनाम राजस्थान सरकार एवं नायब तहसीलदार प्रथम अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–3–2021 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर